सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. 33/Press Clipping/15/2018/RU-III दिनांक: 20–07–2018

सिटिंग नोटिस

विषयः शौचालय बना पंडो परिवार का सहारा, पेड़ के नीचे कटती है रात, सरगुजा जिले के लखनपुर, छत्तीसगढ का मामला ।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में 'द शूटर न्यूज रिर्पाट' में उक्त उल्लिखित प्रकरण (प्रतिलिपि संलग्न) में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 01–08–2018 को 01.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों / दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

23/7/18

(डी. एस. कुम्भारे)
अवर सचिव

सेवा में,

जिला कलेक्टर,
जिला – सरगुजा,
छत्तीसगढ – 497001

6398-99
23.7.18

प्रतिलिपि ;

जारी ISSUED

श्री रूपेश दुबे,
पॉवर हाउस रोड,
शनि मंदिर के पास,
नमना कला, अम्बिकापुर
जिला – सरगुजा, छत्तीसगढ